न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः—250/2014 (2014/00070)225/किशनगढ़

1.राम लाल पुत्र बागा

2.भंवरलाल पुत्र बागा जाति गुर्जर निवासी मण्डावरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मंदिर श्री शनिश्चर जी महाराज स्थान किशनगढ़ जरिये पुजारी जगदीश प्रसाद दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति डाकौत निवासी शनि मंदिर, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर ।
2. मंदिर श्री शनिश्चर जी महाराज स्थान किशनगढ़ जरिये पुजारी लूणचन्द पुत्र डालचन्द जाति डाकौत निवासी शनि मंदिर, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 23.06.2014, प्रकरण संख्या 216/2012

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 23.06. 2014, प्रकरण संख्या 216/2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्तवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 00—06—00, खसरा नम्बर 118 रकबा 12—02—00 वाकै ग्राम मण्डावरिया तहसील किशनगढ़ में स्थित हैं, उक्त आराजियात मंदिर श्री शनिश्चर जी महाराज की खातेदारी की भूमि है। मंदिर श्री शनिश्चर जी महाराज के पुराजी वादीगण/रेस्पोडेन्ट है, उक्त आराजीयात से वादीगण/रेस्पोडेन्ट भूमि को काश्त पर देकर मंदिर की सेवा पुजा, भोग एवं मंदिर की समस्त प्रकार से देखरेख एवं कार्य तथा उक्त मंदिर के सेवा पूजा वादीगण/रेस्पोडेन्ट के भाई श्योबक्श पुत्र लाल चन्द के बाद से लगातार वादीगण ही सेवा,भोग व समस्त व्यय वहन करते हुए मंदिर के पुराजी भी वादीगण/रेस्पोडेन्ट है जबकि वादग्रस्त आराजी मंदिर की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट मंदिर के पुराजीर है। बिना किसी हक अधिकार के अपीलांट आये दिन वादग्रस्त आराजीयात में दखंलदाजी व मदाखलत उत्पन्न करते रहते है। इस कारण अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट की प्रॉपर तामिल प्रक्रिया अपनाये दिनांक 06.05.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.06.2014 को प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 23.06.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपने पूवजो के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर में प्रभाव आने से पूर्व काबिज चले आ रहे है। जो खसरा गिरदावरी 2019 से आज तक उपकाश्तकार दर्ज है जो इस बाबत् मिथ्या कथन अंकित किया गया तथा वर्तमान रेस्पोडेन्ट का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, मत्र भू–माफिया है व आराजी को हड़पने की मंशा से जो प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया गया जब उक्त कथन किया गया तो उक्त समस्त तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए था जबकि उक्त मंदिर किसी समाज विशेष का नहीं है, न ही रेस्पोडेन्ट वैधानिक तौर पर नियुक्त किये गये पक्षकार है मात्र उक्त भूमि को हड़पने के लिए उक्त समस्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलांट को हैरान परेशान करने बाबत् पेश किया गया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 23.06.2014 को निरस्त किया जावें।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी मंदिर के अधिकार, खातेदारी, मिलकीयत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 06 बिस्वा गैर मुमकिन चाह एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा ग्राम मण्डावरिया तहसील किशनगढ़ में स्थित है। रेस्पोडेन्ट मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की सम्पत्ति पर किसी के द्वारा भी अतिचार, अतिक्रमण, आधिपत्य विधि अनुसार अनुज्ञात नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर रिसीवर इसलिए नियुक्त किया गया कि उक्त भूमि पर अपीलांटस ने अतिक्रमण कर रखा था । विवादित आराजी से यदि रिसीवर के आदेश को निरस्त किया जाता है तो मंदिर मूर्ति को प्राप्त होने वाली आय जिससे मंदिर मूर्ति खर्चा, उत्सव आयोजित होते है से वंचित होना पड़ेगा। विवादित आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमण के रूप आमादा था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि सम्मत है इसलिए अपीलांट द्वारा अपील को खारिज की जावे।

6. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 00–06–00 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 12–02–00 बीघा वाकै ग्राम मण्डावरियॉ तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त आराजी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के अनुसार माफी मंदिर श्री शनिश्चरजी महाराजी स्थान किशनगढ़ के नाम दर्ज है। अपीलांटस विवादित आराजी पर केवल अतिक्रमण की हैसियत से काबिज थे। हांलाकि विवादित आराजी बाबत् हक व हकूक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में बाद साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात ही तय होगें। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांटस के पक्ष में नहीं पाये जाते है। फलत अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 23.06.2014 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. आदेश आज दिनाक 07.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर